



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 472]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2019/श्रावण 29, 1941

No. 472]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2019/SHRAVANA 29, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2019

सा.का.नि. 582 (अ).—केन्द्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (जज), खंड (जजज) और खंड (ट) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन-शोधन निवारण (अभिलेख रचना) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेख रचना) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन-शोधन निवारण (अभिलेख रचना) नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के आंशिक भाग में, "द्वारा प्रदत्त" शब्दों के पूर्व, "धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (झ), खंड (ञ), खंड (जज), खंड (जजज) और खंड (ट) के साथ पठित उप-धारा (1)" शब्दों, अंकों, और अक्षरों के स्थान पर "धारा 11क और धारा 12 कक के साथ पठित धारा 73" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों में, नियम 2 के उपनियम (1) में,-

(i) खंड (कक), खंड (ककक), खंड (ककख), खंड (ककड.), खंड (ककच), खंड (गक), खंड (गख), खंड (गग), खंड (गघ), खंड (चकक), और खंड (चख) को खंड(कग), खंड (कक), खंड (कख), खंड (गक), खंड (झ), खंड (गग), खंड (गघ), खंड (गड.), खंड (गच), खंड (चख) और खंड (चग) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा;

(ii) खंड (खख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

'(खखक) "डिजिटल केवाईसी" से जहाँ आफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता, वहाँ अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार रिपोर्टिंग अस्तित्व के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिए जा रहे जीवंत छायाचित्र के अवस्थान के अक्षांश और देशांतर के साथ ग्राहक का जीवत छायाचित्र और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज या आधार रखने का सबूत लेना अभिप्रेत है;

(खग) "डिजिटल हस्ताक्षर" का वहीं अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में उसका है।

(iii) खंड (गक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(गख) "समतुल्य ई दस्तावेज" से इसके जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर से जारी, किसी दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक समतुल्य अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लाकर प्रसुविधा प्रदान करने वाले मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का परिरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2017 के नियम 9 के अनुसार ग्राहक के डिजिटल लाकर खाते को जारी दस्तावेज भी हैं';

(iv) खंड (घ) में पहले परंतुक तथा दूसरे परंतुक में, "दस्तावेजों" शब्द के पश्चात् "भी" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ;

(v) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(घख) "आफलाइन सत्यापन" का वही अर्थ होगा जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (तक) में उसका है;";

(vi) खंड (चक) के उपखंड (ii) में "(कक)" कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "(कग)" कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

4. मूल नियमों में, नियम 9 में,-

(i) उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) जहाँ ग्राहक व्यष्टिक है, वहाँ वह उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए रिपोर्टिंग अस्तित्व निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा,-

(क) आधार संख्या, जहाँ,

(i) वह, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं, और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के अधीन अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन कोई फायदा या सहायिकी को प्राप्त करने की वांछा करता है; या

(ii) वह अधिनियम की धारा 11की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन किसी बैंककारी कंपनी या किसी रिपोर्टिंग अस्तित्व को स्वेच्छया अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करने का विनिश्चय करता है; या

(कक) आधार संख्या रखने का सबूत, जहाँ आफलाइन सत्यापन किया जा सकता है; या

(कख) आधार संख्या रखने या किसी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज रखने अथवा उसकी पहचान और पता अंतर्विष्ट करने वाले ब्यौरे रखने वाला समतुल्य कोई ई-दस्तावेज रखने का सबूत, जहाँ आफलाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता ; और

(ख) स्थायी लेखा संख्याँक या उसका समतुल्य ई-दस्तावेज अथवा आय-कर नियम, 1962 में यथापरिभाषित प्ररूप सं. 60 और

(ग) ऐसे अन्य दस्तावेज, जिसके अंतर्गत ग्राहक के कारबर की प्रकृति और वित्तीय स्थिति अथवा उसके समतुल्य दस्तावेज जो रिपोर्टिंग अस्तित्व द्वारा अपेक्षित हों

(ii) उपनियम (5) में,-

(क) "उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात् "और उसके विकल्प के रूप में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं;

(ख) खंड (iv) में "उपनियम (4) में यथानिर्दिष्ट शासकीय वैध दस्तावेजों तथा, यथास्थिति, स्थायी लेखा संख्या या प्ररूप सं. 60 के पेश करने के माध्यम से" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(ग) "(v) विदेशी प्रेषण को छोटे खाते में प्रत्यय करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि ग्राहक की पहचान उपनियम (4) के उपबंध के अनुसार पूर्णतः स्थापित नहीं की जाती;";

(iii) उपनियम 6 में,-

(क) "निम्नलिखित दस्तावेजों" शब्दों के पश्चात् "या उनके समतुल्य दस्तावेजों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (iv) में "निमित्त" शब्द के पश्चात् "और" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(v) कंपनी की और से संव्यवहार करने के लिए अटार्नी को धारण करने वाले, यथास्थिति, फायदाग्राही स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित उपधारा (4) के अधीन किसी व्यष्टिक के लिए यथा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज;";

(iv) उपनियम (7) में,-

(क) "निम्नलिखित दस्तावेजों" शब्दों के पश्चात् "या उनके समतुल्य ई-दस्तावेजों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iv) उसकी और से संव्यवहार करने के लिए अटार्नी को धारण करने वाले, यथास्थिति, फायदाग्राही स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित उपधारा (4) के अधीन किसी व्यष्टिक के लिए यथा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज;";

(v) उपनियम (8) में,

(क) "निम्नलिखित दस्तावेजों" शब्दों के पश्चात् "या उनके समतुल्य दस्तावेजों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) उसकी और से संव्यवहार करने के लिए अटार्नी को धारण करने वाले, यथास्थिति, फायदाग्राही स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित उपधारा (4) के अधीन किसी व्यष्टिक के लिए यथा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज;";

(vi) उपनियम (9) में,-

(क) "निम्नलिखित दस्तावेजों" शब्दों के पश्चात् "या उनके समतुल्य दस्तावेजों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (iii) में “निमित्त” शब्द के पश्चात् “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(iv) उसकी और से संव्यवहार करने के लिए अटार्नी को धारण करने वाले, यथास्थिति, फायदाग्राही स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित उपधारा (4) के अधीन किसी व्यक्ति के लिए यथा अपेक्षित ऐसे दस्तावेज;”;

(vii) उपनियम (14) में, खंड (ik) में,

(क) उपखंड (अ) में अंत में आने वाले शब्द “और” का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपखंड (आ) में अंत में आने वाले अंक “60” के पश्चात् “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उपखंड (आ) के पश्चात् और दीर्घ और दीर्घ रेखा से पूर्व, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ई) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के अधीन अधिसूचित किसी स्कीम के अधीन कोई फायदा या सहायिकी को प्राप्त करने के लिए आधार अधिप्रमाणन करवाने में असमर्थ ग्राहकों को लेखा आधारित सेवाओं का उपबंध करने के लिए छूट, सीमाएं और शर्तें तथा पहचान के वहनीय साधन;”;

(viii) उपधारा (15) में निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:--

“(15) जहां ग्राहक ने –

(क) धारा 11 क की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन अधिसूचित रिपोर्टिंग अस्तित्व या बैंककारी कंपनी को उपनियम (4) के खंड (क) के अधीन अपना आधार संख्यांक प्रस्तुत किया है तो ऐसी बैंककारी कंपनी या रिपोर्टिंग अस्तित्व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का प्रयोग करते हुये ग्राहक के आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन करेंगे;

(ख) उपनियम (4) के खंड (कक) के अधीन आधार के कब्जे का सबूत प्रस्तुत किया है जहां ऑफलाइन सत्यापन हो सकता है, वहाँ रिपोर्टिंग अस्तित्व ऑफलाइन सत्यापन करेगा;

(ग) किसी शासकीय विधिमान्य दस्तावेज का ई- दस्तावेज प्रस्तुत किया है तो, रिपोर्टिंग अस्तित्व सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) और उसके अधीन जारी नियमों के उपबंधों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन करेगा और उपाबंध 1 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट एक सजीव फोटो लेगा;

(घ) उपनियम (4) के खंड (कख) के अधीन किसी शासकीय विधिमान्य दस्तावेज या आधार संख्यांक के कब्जे का सबूत प्रस्तुत किया है, जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं हो सकता है, वहाँ रिपोर्टिंग अस्तित्व उपाबंध 1 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट डिजिटल केवाईसी के माध्यम से सत्यापन करेगा ।

परंतु यह कि, ऐसी अवधि के लिए जो उस तारीख से परे न हो जो किसी रिपोर्टिंग अस्तित्व के किसी वर्ग के लिए अधिसूचित की जाये, जहां कोई समतुल्य ई-दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, डिजिटल केवाईसी करने के स्थान पर, ऐसे वर्ग से संबन्धित रिपोर्टिंग अस्तित्व शासकीय विधिमान्य दस्तावेज या आधार संख्यांक के कब्जे के सबूत की प्रमाणित प्रति और नवीनतम फोटो अभिप्राप्त कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण.- रिपोर्टिंग अस्तित्व द्वारा प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने से अभिप्रेत होगा आधार संख्यांक के कब्जे का सबूत, जहां ऑफलाइन सत्यापन नहीं हो सकता है, या ग्राहक द्वारा इस प्रकार से पेश किए गए शासकीय विधिमान्य दस्तावेज की मूल के साथ तुलना और अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार रिपोर्टिंग अस्तित्व के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसे प्रति पर अभिलिखित करना। ;

(ix) उप नियम (16) में, “जहां उसका ग्राहक अपना आधार संख्यांक प्रस्तुत करता है यह सुनिश्चित करेगा कि उसका ग्राहक, जहां उपनियम (15) के अधीन आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन अपेक्षित नहीं है, वहाँ उपयुक्त उपायों के माध्यम से आधार संख्या को संपादित या ब्लैक आउट कर सके” शब्दों के स्थान पर “जहां उसका ग्राहक आधार संख्यांक को अंतर्विष्ट करने वाले आधार संख्यांक के कब्जे का सबूत प्रस्तुत करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि उसका ग्राहक, जहां उपनियम (15) के अधीन आधार संख्यांक का अधिप्रमाणन अपेक्षित नहीं है, वहाँ उपयुक्त उपायों के माध्यम से आधार संख्या को संपादित या ब्लैक आउट कर सके” शब्द रखे जाएंगे;

(x) उप नियम (17) में,-

(क) खंड (i) और (ii) में, “स्थायी खाता संख्यांक” शब्दों के पश्चात “या उसके ई-दस्तावेज़ के समतुल्य” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण के हिन्दी पाठ में संशोधन/प्रतिस्थापन की आवश्यकता नहीं है।

(xi) उप नियम (18) में,

(क) “निम्नलिखित दस्तावेजों” शब्दों के पश्चात “या उनके समतुल्य उसके ई-दस्तावेजों” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) परंतुक में, “शासकीय विधिमान्य दस्तावेज़” शब्दों के पश्चात “या उनके समतुल्य उसके ई-दस्तावेजों को” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा”;

5. मूल नियम के नियम 11 के पश्चात, निम्नलिखित उपाबंध को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ उपाबंध 1

डिजिटल के.वाई.सी.(अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया

- क. रिपोर्टिंग अस्तित्व डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया के लिए एक उपयोजन विकसित करेंगे जिसे उनके ग्राहकों की केवाईसी करने के लिए ग्राहक पहुँच स्थलों पर उपलब्ध करवाया जाएगा, और केवल रिपोर्टिंग अस्तित्वों के इस अधिप्रमाणित उपयोजन के माध्यम से ही केवाईसी प्रक्रिया क्रियान्वित की जाएगी।
- ख. उपयोजन की पहुँच रिपोर्टिंग अस्तित्वों के द्वारा नियंत्रित की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसका उपयोग न हो। रिपोर्टिंग अस्तित्वों के द्वारा इसके प्राधिकृत अधिकारियों को दिये गए लॉगिन आई-डी और पासवर्ड या सजीव ओटीपी या समय-ओटीपी नियंत्रित तंत्र के माध्यम से ही केवल उपयोजन का अभिगम होगा।
- ग. ग्राहक, केवाईसी के प्रयोजन के लिए रिपोर्टिंग अस्तित्व के प्राधिकृत अधिकारियों के स्थानों पर जाएँगे या विपर्ययेन रूप से ये प्राधिकृत अधिकारी ऐसा करेंगे। ग्राहक के पास मूल शासकीय विधिमान्य दस्तावेज़ (ओवीडी) रहेगा।
- घ. रिपोर्टिंग अस्तित्व यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ग्राहक की सजीव फोटो ली गई है और वह फोटो ग्राहक आवेदन प्ररूप (सी ए एफ़) पर सन्निहित हो। इसके अतिरिक्त, रिपोर्टिंग अस्तित्व का उपयोजन सिस्टम ग्राहक के खींचे गए सजीव फोटो पर सी ए एफ़ संख्या, जीपीएस निर्देशांकों, प्राधिकृत अधिकारी का नाम, विशिष्ट कर्मचारी कोड (रिपोर्टिंग अस्तित्वों द्वारा दिया गया) और तारीख (दिन:मास:वर्ष...) तथा समय स्टॉप (घंटा:मिनट:सेकंड) से युक्त पढ़ने योग्य प्ररूप में वॉटर-मार्क अंकित करेगा।
- ङ. रिपोर्टिंग अस्तित्वों के उपयोजन की यह विशेषता होगी कि ग्राहक का केवल सजीव फोटो ही खींचा जाये और ग्राहक का मुद्रित या विडियोग्राफी किया हुआ फोटो नहीं खींचा जाये। सजीव फोटो खींचते समय ग्राहक के पीछे की पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की होनी चाहिए और ग्राहक की सजीव फोटो खींचते समय आकृति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं आना चाहिए।

- च. इसी प्रकार, मूल शासकीय विधिमान्य दस्तावेज़ या आधार संख्यांक के कब्जे के सबूत, जहाँ ऑफलाइन सत्यापन नहीं हो सकता है (क्षैतिज रूप से रखकर), की सजीव फोटो ऊपर से ऊर्ध्व रूप से खींची जाएगी और ऊपर यथोल्लिखित, पढ़ने योग्य प्ररूप में वॉटर-मार्किंग किया जाएगा। मूल दस्तावेजों का सजीव फोटो खींचते समय मोबाइल युक्ति में कोई तीरक्षापन या झुकाव नहीं होगा।
- छ. ग्राहक की और उसके मूल दस्तावेजों की सजीव फोटो उचित प्रकाश में खींची जाएगी जिससे वे स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य एवं पढ़ने योग्य हों।
- ज. तत्पश्चात्, सी ए एफ में सभी प्रविष्टियाँ ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और सूचनाओं के अनुसार भरी जाएंगी। उन दस्तावेजों में जहाँ क्रिक रेस्पांस (क्यू आर) कोड उपलब्ध है, वहाँ ब्यौरों को मैनुअल रूप से भरने के स्थान पर क्यूआर कोड स्कैन करने के द्वारा ऐसे ब्यौरे आटो-पापुलेट किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यूआईडीएआई से डाउनलोड किए गए भौतिक आधार /ई-आधार की दशा में, जहाँ क्यू आर कोड उपलब्ध है, वहाँ नाम, लिंग, जन्म की तारीख, और पता जैसे ब्यौरे आधार/ई-आधार पर उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन करने के द्वारा आटो-पापुलेट किए जा सकते हैं।
- झ. एक बार जब उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब 'कृपया ओटीपी साझा करने से पहले प्ररूप में भरे हुये ब्यौरे सत्यापित करें' पाठ से युक्त वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) संदेश ग्राहक के स्वयं के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी के सफलतापूर्वक विधिमान्यकरण पर, यह सीएएफ पर ग्राहक के हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा। तथापि, यदि ग्राहक के पास उसका अपना मोबाइल नंबर नहीं है तब उसके परिवार/रिश्तेदारों या परिचित व्यक्तियों का मोबाइल नंबर इस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकता है और इसे सीएएफ में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाए। किसी भी दशा में, रिपोर्टिंग अस्तित्व के पास प्राधिकृत अधिकारी का रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर ग्राहक के हस्ताक्षर के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। रिपोर्टिंग अस्तित्व यह आवश्यक रूप से जांच करेगा कि ग्राहक के हस्ताक्षर में प्रयुक्त मोबाइल नंबर प्राधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर नहीं होगा।
- ञ. प्राधिकृत अधिकारी, ग्राहक और मूल दस्तावेज का सजीव फोटो खींचने के बारे में एक घोषणा देगा। इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) जो रिपोर्टिंग अस्तित्व के पास रजिस्ट्रीकृत उसके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, से सत्यापित होगा। सफलतापूर्वक ओटीपी के विधिमान्यकरण पर, इसे घोषणा पर प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी का सजीव फोटो प्राधिकृत अधिकारी की इस घोषणा में भी खींचा जाएगा।
- ट. इन सभी गतिविधियों के पश्चात् उपयोजन, प्रक्रिया के पूर्ण होने और रिपोर्टिंग अस्तित्व के ऐक्टिवेशन अधिकारी को ऐक्टिवेशन अनुरोध के प्रस्तुत होने के बारे में सूचना देगा और प्रक्रिया की संव्यवहार—आईडी/संदर्भ-आईडी संख्या भी सृजित करेगा। प्राधिकृत अधिकारी ग्राहक को भावी संदर्भ के लिए संव्यवहार—आईडी/संदर्भ-आईडी संख्या के संबंध में ब्यौरे सूचित करेगा।
- ठ. रिपोर्टिंग अस्तित्व का प्राधिकृत अधिकारी यह जांच और सत्यापित करेगा कि-
- दस्तावेज के चित्र में उपलब्ध सूचना सीएएफ में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रविष्ट की गई सूचना के समरूप है ;
 - ग्राहक की सजीव फोटो दस्तावेज में उपलब्ध फोटो के समरूप है; और
 - आज्ञापक स्थानों सहित सीएएफ में सभी आवश्यक ब्यौरे उचित रूप से भरे गए हैं।
- ड. सफलतापूर्वक सत्यापन पर, रिपोर्टिंग अस्तित्व के प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा सी ए एफ को डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा जो सीएएफ का एक प्रिंट लेगा, समुचित स्थानों पर ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान लेगा, तब स्कैन करके उसे सिस्टम में अपलोड करेगा। मूल हार्ड प्रति ग्राहक को वापस की जा सकेगी।”।

[फा. सं. पी.12011/24/2017-ईएस सेल-डीओआर]

दिनेश बौध्द, निदेशक

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 381(अ), तारीख 28 मई, 2019 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2019

G.S.R.582(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (i), (j), (jj), (jjj) and (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Third Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), in the opening portion, after the words “conferred by”, for the words, figures and letters “sub-section (1), read with clauses (i), (j), (jj), (jjj) and (k) of sub-section (2) of section 73”, the words, figure and letters “section 73 read with section 11A and section 12AA” shall be substituted.
3. In the principal rules, in rule 2, in sub-rule (1),-
 - (i) the clauses (aa), (aaa), (aab), (aae), (aaf), (ca), (cb), (cc), (cd), (faa) and clause (fb) shall be re-numbered as clauses (ac), (aa), (ab), (ca), (i), (cc), (cd), (ce), (cf), (fb) and clause (fc) respectively;
 - (ii) after clause (bb), the following clauses shall be inserted, namely:

‘(bba) “digital KYC” means the capturing live photo of the client and officially valid document or the proof of possession of Aadhaar, where offline verification cannot be carried out, along with the latitude and longitude of the location where such live photo is being taken by an authorised officer of the reporting entity as per the provisions contained in the Act;

(bc) “Digital Signature” shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-section (1) of section (2) of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);’;
 - (iii) after clause (ca), the following clause shall be inserted namely:

‘(cb) “equivalent e-document” means an electronic equivalent of a document, issued by the issuing authority of such document with its valid digital signature including documents issued to the digital locker account of the client as per rule 9 of the Information Technology (Preservation and Retention of Information by Intermediaries Providing Digital Locker Facilities) Rules, 2016;’;
 - (iv) in clause (d), in the first proviso and in the second proviso, after the words “documents shall”, the word “also”, shall be inserted;
 - (v) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

“(da) “offline verification” shall have the same meaning as assigned to it in clause (pa) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);”;
 - (vi) in clause (fa), in sub-clause (ii), for the brackets and letters “(aa)”, the brackets and letters “(ac)” shall be inserted;
4. In the principal rules, in rule 9,-
 - (i) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

- “(4) Where the client is an individual, he shall for the purpose of sub-rule (1) submit to the reporting entity,—
- (a) the Aadhaar number where,
 - (i) he is desirous of receiving any benefit or subsidy under any scheme notified under section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016); or
 - (ii) he decides to submit his Aadhaar number voluntarily to a banking company or any reporting entity notified under first proviso to sub-section (1) of section 11A of the Act; or
 - (aa) the proof of possession of Aadhaar number where offline verification can be carried out; or
 - (ab) the proof of possession of Aadhaar number where offline verification cannot be carried out or any officially valid document or the equivalent e-document thereof containing the details of his identity and address; and
 - (b) the Permanent Account Number or the equivalent e-document thereof or Form No. 60 as defined in Income-tax Rules, 1962; and
 - (c) such other documents including in respect of the nature of business and financial status of the client, or the equivalent e-documents thereof as may be required by the reporting entity:
- (ii) in sub-rule (5),-
- (a) after the words, brackets and figure “contained in sub-rule (4)”, the words, “and as an alternative thereto”, shall be inserted;
 - (b) in clause (iv), for the words, brackets and figures “through the production of officially valid documents, as referred to in sub-rule (4) and Permanent Account Number or Form No.60, as the case may be,” the words, brackets and figure “as per the provisions of sub-rule (4)” shall be substituted;
 - (c) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) the foreign remittance shall not be allowed to be credited into the small account unless the identity of the client is fully established as per provision of sub-rule (4):”;
- (iii) in sub-rule (6),-
- (a) after the words “following documents”, the words “or the equivalent e-documents thereof”, shall be inserted;
 - (b) in clause (iv), after the word “behalf;”, the word “and”, shall be inserted;
 - (c) for clause (v), the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) such documents as are required for an individual under sub-rule (4) relating to beneficial owner, managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on the company's behalf;”;
- (iv) in sub-rule (7),-
- (a) after the words “following documents”, the words “or the equivalent e-documents thereof”, shall be inserted;
 - (b) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) such documents as are required for an individual under sub-rule (4) relating to beneficial owner, managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on its behalf;”;
- (v) in sub-rule (8),-
- (a) after the words “following documents”, the words, “or the equivalent e-documents thereof”, shall be inserted;
 - (b) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) such documents as are required for an individual under sub-rule (4) relating to beneficial owner, managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on its behalf;”;

- (vi) in sub-rule (9),-
- (a) after the words “following documents”, the words “or the equivalent e-documents thereof”, shall be inserted;
 - (b) in clause (iii), after the word “behalf;”, the word, “and”, shall be inserted;
 - (c) for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-
“(iv) such documents as are required for an individual under sub-rule (4) relating to beneficial owner, managers, officers or employees, as the case may be, holding an attorney to transact on its behalf;”;
- (vii) in sub-rule (14), in clause (ia),-
- (a) in sub-clause (A), the word “and” occurring at the end shall be omitted;
 - (b) in sub-clause (B), after the figures 60” occurring at the end, the word “and” shall be inserted;
 - (c) after sub-clause (B) and before the long line, the following sub-clause shall be inserted, namely:-
“(C) exemption, limitations and conditions and alternate and viable means of identification, to provide account based services of clients who are unable to undergo Aadhaar authentication for receiving any benefit or subsidy under any scheme notified under section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);”;
- (viii) for sub-rule (15), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
“(15) Where the client has submitted—
- (a) his Aadhaar number under clause (a) of sub-rule (4) to the banking company or a reporting entity notified under first proviso to sub-section (1) of section 11A, such banking company or reporting entity shall carry out authentication of the client's Aadhaar number using e-KYC authentication facility provided by the Unique Identification Authority of India;
 - (b) proof of possession of Aadhaar under clause (aa) of sub-rule (4) where offline verification can be carried out, the reporting entity shall carry out offline verification;
 - (c) an equivalent e-document of any officially valid document, the reporting entity shall verify the digital signature as per the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) and any rules issues thereunder and take a live photo as specified under Annexure 1.
 - (d) any officially valid document or proof of possession of Aadhaar number under clause (ab) of sub-rule (4) where offline verification cannot be carried out, the reporting entity shall carry out verification through digital KYC as specified under Annexure 1:
- Provided that for a period not beyond such date as may be notified for a class of reporting entity, instead of carrying out digital KYC, the reporting entity pertaining to such class may obtain a certified copy of the proof of possession of Aadhaar number or the officially valid document and a recent photograph where an equivalent e-document is not submitted.
- Explanation.*— Obtaining a certified copy by the reporting entity shall mean comparing the copy of the proof of possession of Aadhaar number where offline verification cannot be carried out or officially valid document so produced by the client with the original and recording the same on the copy by the authorised officer of the reporting entity as per the provisions contained in the Act.;
- (ix) in sub-rule (16), for the words “submits his Aadhaar Number, ensure such client to redact or black out”, the words “submits a proof of possession of Aadhaar Number containing Aadhaar Number, ensure that such client redacts or blacks out” shall be substituted;
- (x) in sub-rule (17),-
- (a) in clause (i) and clause (ii), after the words “Permanent Account Number”, the words “or equivalent e-document thereof”, shall be inserted;
 - (b) in Explanation, for the words, “in relation an account”, the words, “in relation to an account” shall be substituted;
- (xi) in sub-rule (18),

- (a) after words “following documents”, the words, “or their equivalent e-documents thereof” shall be inserted;
- (b) in the proviso, after the words “officially valid document”, the words, “or their equivalent e-documents thereof” shall be inserted;
5. After rule 11 of the principal rules, the following Annexure shall be inserted namely:-

“Annexure 1

Digital KYC Process

- A. The reporting entities shall develop an application for digital KYC process which shall be made available at customer touch points for undertaking KYC of their customers and the KYC process shall be undertaken only through this authenticated Application of the Reporting Entities.
- B. The access of the Application shall be controlled by the Reporting Entities and it should be ensured that the same is not used by unauthorized persons. The Application shall be accessed only through login-id and password or Live OTP or Time OTP controlled mechanism given by Reporting Entities to its authorized officials.
- C. The client, for the purpose of KYC, shall visit the location of the authorized official of the Reporting Entity or vice-versa. The original Officially Valid Document (OVD) shall be in possession of the client.
- D. The Reporting Entity must ensure that the Live photograph of the client is taken by the authorized officer and the same photograph is embedded in the Customer Application Form (CAF). Further, the system Application of the Reporting Entity shall put a water-mark in readable form having CAF number, GPS coordinates, authorized official’s name, unique employee Code (assigned by Reporting Entities) and Date (DD:MM:YYYY) and time stamp (HH:MM:SS) on the captured live photograph of the client.
- E. The Application of the Reporting Entities shall have the feature that only live photograph of the client is captured and no printed or video-graphed photograph of the client is captured. The background behind the client while capturing live photograph should be of white colour and no other person shall come into the frame while capturing the live photograph of the client.
- F. Similarly, the live photograph of the original officially valid document or proof of possession of Aadhaar where offline verification cannot be carried out (placed horizontally), shall be captured vertically from above and water-marking in readable form as mentioned above shall be done. No skew or tilt in the mobile device shall be there while capturing the live photograph of the original documents.
- G. The live photograph of the client and his original documents shall be captured in proper light so that they are clearly readable and identifiable.
- H. Thereafter, all the entries in the CAF shall be filled as per the documents and information furnished by the client. In those documents where Quick Response (QR) code is available, such details can be auto-populated by scanning the QR code instead of manual filing the details. For example, in case of physical Aadhaar/e-Aadhaar downloaded from UIDAI where QR code is available, the details like name, gender, date of birth and address can be auto-populated by scanning the QR available on Aadhaar/e-Aadhaar.
- I. Once the above mentioned process is completed, a One Time Password (OTP) message containing the text that ‘Please verify the details filled in form before sharing OTP’ shall be sent to client’s own mobile number. Upon successful validation of the OTP, it will be treated as client signature on CAF. However, if the client does not have his/her own mobile number, then mobile number of his/her family/relatives/known persons may be used for this purpose and be clearly mentioned in CAF. In any case, the mobile number of authorized officer registered with the Reporting Entity shall not be used for client signature. The Reporting Entity must check that the mobile number used in client signature shall not be the mobile number of the authorized officer.
- J. The authorized officer shall provide a declaration about the capturing of the live photograph of client and the original document. For this purpose, the authorized official shall be verified with One Time Password (OTP) which will be sent to his mobile number registered with the Reporting Entity. Upon successful OTP validation, it shall be treated as authorized officer’s signature on the declaration. The live photograph of the authorized official shall also be captured in this authorized officer’s declaration.

K. Subsequent to all these activities, the Application shall give information about the completion of the process and submission of activation request to activation officer of the Reporting Entity, and also generate the transaction-id/reference-id number of the process. The authorized officer shall intimate the details regarding transaction-id/reference-id number to client for future reference.

L. The authorized officer of the Reporting Entity shall check and verify that:-

- (i) information available in the picture of document is matching with the information entered by authorized officer in CAF.
- (ii) live photograph of the client matches with the photo available in the document.; and
- (iii) all of the necessary details in CAF including mandatory field are filled properly.;

M. On Successful verification, the CAF shall be digitally signed by authorized representative of the Reporting Entity who will take a print of CAF, get signatures/thumb-impression of customer at appropriate place, then scan and upload the same in system. Original hard copy may be returned to the customer.”.

[F. No. P.12011/24/2017-ES Cell-DoR]

DINESH BOUDDH, Director

Note:- The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide numbers G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and were last amended vide G.S.R. 381(E), dated the 28th May, 2019.